


बहरोड़ (अन्वर) राय.

23/11/23 फगावली पेश हुई। वादी एवं वकील  
अनुपस्थित। मूल दवा अदम हाजरी अदम पैरवी में खरीज  
किपा जपा है अतः न्यायिक पत्र 212 भी अदम हाजरी अदम  
पैरवी में खरीज किपा जाता है। न्यायालय के आदेश दि.

2/02/21 क्रम सम्पन्न की निरस्त माना जावे। फगावली  
नम्बर से क्रम है। बाद में मूल दवा के साथ संलग्न रहे।

  
न्यायिक अधिकारी  
बहरोड़ (अन्वर) राय.